

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>पंजीयन नं. या कार्यवाही नं. या हुक्म की तारीख या कार्यवाही</p>
	<p>उपस्थित नहीं हुए। इनके विरुद्ध एक बरत कार्यवाही अफस में जारी जमी है बाद में वकालतनामा अर्थात् नं. 20 को अंतिम अवसर दिया जाकर फिलहाल दिनांक 17/02/20 को पेश है</p> <p style="text-align: right;">बहायत कलक्टर एवं कार्यपालक इण्डनायक (फास्ट ट्रेक) फलादी</p>	
<p>17/02/20</p>	<p>वकुलाप्रपत अधिवक्ता अज.) बाद में इतना वकालतनामा अर्थात् नं. 20 को अंतिम अवसर का अभाव कार्यवाही पर हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर फिलहाल दिनांक 17/03/20 को पेश है</p> <p style="text-align: right;">बहायत कलक्टर एवं कार्यपालक इण्डनायक (फास्ट ट्रेक) फलादी</p>	
<p>19/3/20</p>	<p>पत्रावली पेश हुई है। कारण अधिवक्ता में उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली पेशी इत्यादि को अंतिम अवसर पत्रावली दिनांक 07/04/20 को पेश है</p> <p style="text-align: right;">बहायत कलक्टर एवं कार्यपालक इण्डनायक (फास्ट ट्रेक) फलादी</p>	
<p>07/4/20</p>	<p>पत्रावली पेश हुई है। अधिवक्ता अधिवक्तागण को अधिवक्तागण में उपस्थित नहीं देने पर पेशी इत्यादि को अंतिम अवसर दिनांक 29/04/20 को पेश है</p> <p>29/04/20 उममपत अधिवक्ता अज.) अधिवक्ता अर्थात् ने जवाब कार्यवाही पर पेश किया किनाही कोपी अधिवक्ता अर्थात् को दिनांक बाद शाकिल मिलता कि एक साथ ही फार्म नं. 3 के साथ प्रस्ताविका पेश किए जो शाकिल पत्रावली किए। उममपत अधिवक्ता की प्रार्थना पर पर वहल हुनी पत्रावली पर</p>	



तारीख  
क्रमांक

हुक्म या कार्यवाही मध्य इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
आह्वान जो इस  
हुक्म की तामीन  
में जारी हुए

उपरोक्त दरगावे जात का अवलोकन  
किया बाद अवलोकन में शर्णी  
के पक्ष में तमाम दस्तावेज, लुविद्या  
का स्तंभान, अपूर्णता क्षति का  
गामला बनना पाया गया।  
अतः अध्यागमिण को अस्थाई निषेधज्ञ  
के तहत इस कदम पाबंद किया  
जाता है की शम राईकावाग पट्टा  
द्वारा मोटाई के अन्तर्गत 229 रुकवा  
255 बीघा 3 बिरुवा भूमि पर  
मूल वाड के विस्तारण तक मौका  
व राजस्व रेकर्ड की भ्रष्टाचार  
बनाई रखे।  
पनावली फौजदारी हुकूमत होकर  
नम्बर से एक एक हो व  
मूल वाड के साथ संलग्न हो

सहायक कलक्टर जयपालक दण्डनायक  
(फास्ट ट्रक) फलोदी